भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1269

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया पहल का प्रभाव

1269. डॉ. भोला सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "मेक इन इंडिया" पहल के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने में "मेक इन इंडिया" पहल की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख उद्योगों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य, निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। यह अपनी तरह की एक अनूठी "वोकल फॉर लोकल" पहल है, जिसने विश्व के समक्ष भारत की विनिर्माण क्षमताओं का प्रचार-प्रसार किया है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच किया जा रहा है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित **27 क्षेत्रों** पर फोकस करती है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत क्षेत्रों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए किए गए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएलआई स्कीमों की घोषणा के साथ, अगले पांच वर्षों और आगे उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक विकास और निर्यात में उल्लेखनीय सुधार की आशा की जाती है। अब तक, देश भर के 14 क्षेत्रों में 755 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार वित्त वर्ष 2017-18 (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) के 57 मिलियन की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24) में 64.4 मिलियन हो गया है।

आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाने और कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपदाओं को विकास के अवसर में बदलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की सॉफ्ट लॉन्चिंग, आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है।

(ख) : घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत सरकार ने 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों आदि में, जहां आयात पर काफी निर्भरता है के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग ईकोसिस्टम के विकास के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को अनुमोदित किया है। सरकार ने बाजार में खराब और घटिया उत्पादों की जांच करने तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन के लिए कड़े गुणवत्ता मानक और उपाय भी शुरु किए हैं। सरकार भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने और आपूर्ति के एक ही स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की मानिटरिंग करती है और इस पर पर्याप्त कार्रवाई करती है।

सरकार द्वारा शुरु की गई पहलों के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आयात वर्ष 2014-15 के 48,609 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 7,665 करोड़ रुपए रह गया है। दूसरी ओर, मोबाइल फोन का निर्यात, वर्ष 2014-15 के 1,566 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,28,982 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। हाल के समय में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर क्रूड जैसे क्षेत्रों में भी आयात में गिरावट देखी गई है, जहां आयात में क्रमशः 45.1%, 31.3% और 42.2% की गिरावट आई है।

(ग) : हाल ही के वर्षों में, भारत एफडीआई के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है। भारत ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और विदेशी पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। निवेशकों के लिए भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने और अपेक्षित अनुमति लेने के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल पाइंट इंटरफेस के रूप में राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) भी शुरू की गई है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेश अनुकूल गंतव्य बना रहे, इसके लिए सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष औद्योगिक चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करके उनके विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है।

एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की एफडीआई नीति में सुधार शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और अवसरवादी अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए, भू-सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले विदेशी निवेश के लिए अब सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1269 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र :-

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. कैपिटल गुड्स
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र:

xvi. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
xvii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
xviii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
xix. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
xx. लेखा और वित्त सेवाएं
xxi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
xxii. कानूनी सेवाएं
xxiii. संचार सेवाएं
xxiv. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
xxv. पर्यावरणीय सेवाएं
xxvi. वित्तीय सेवाएं
xxvii. शिक्षा सेवाएं

*****